संख्या-6/2015/79/84-1-15-21बामा/2009टी.सी.-6

प्रेषक,

नेकपाल वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 22 जनवरी, 2015

विषय- कार्यमानक प्रयोगशाला/द्वितीय मानक प्रयोगशाला के भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1004/निविमावि-लेखा-7(25)भासयो-बस्ती/2014 दिनॉक 29.12.2014, एवं पत्र संख्या-27/निविमावि-लेखा 7(25)भासयो-बदायू/2014 दिनॉक 15.01.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नई कार्यमानक प्रयोगशाला बस्ती तथा बदायू के भवनों के निर्माण हेतु क्रमश-19,58,,000/- एवं 24,96,000/- की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष के आय व्ययक में प्रावधानित धनराशि रू0 10,48,06,000/ के सापेक्ष कुल रू0 44,54,000/- (रूपये चौवालिस लाख चौवन हजार मात्र) की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं -

1- कार्यमानक प्रयोगशाला के भवन निर्माण हेतु संलग्न आगणनो में दर्शायी गई दर/मात्रा को भवन निर्माण में सुनिश्चित कराने का दायित्व कार्यदायी संस्था एवं नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग का होगा।

2- प्रश्नगत कार्य निर्धारित मानक के अनुरूप दिनांक 31-3-2015 तक पूर्ण कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- नियंत्रक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु प्रदेश सरकार/भारत सरकार की किसी अन्य योजना में धनराशि प्राप्त न की गई हो और न ही किसी अन्य योजना में स्वीकृति हेतु सम्मिलित करते हुए शासन को संदर्भित किया गया हों।

4- नियंत्रक का यह दायित्व होगा कि जनपदों में उपलब्ध भूमि विभाग के कब्जे में हो तथा निर्विवाद हो।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष-"4059-लोक निर्माण कार्य पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य भवन-051-निर्माण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें-0102-द्वितीयमानक प्रयोगशाला/कार्यमानक प्रयोगशाला/ कैलिब्रेशन टावर्स का भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-14-231/2014, दिनांक 22-7-2014 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहें है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

नेकपाल वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या-6/2015/79(1)/84-1-15-तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम सम्प्रति यू0पी0 स्टेट कांस्टक्शन एण्ड इन्फरास्टक्चर डेवलेपमन्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

नेकपाल वर्मा
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in